बालिकाओं को संरक्षण

374. **श्री एस. एस. सुरजोवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गरीब बालिकओं की सुरक्षा तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं;

(ख) क्या इस योजनाओं की प्रभावकारिता का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बालिकऔं के प्रति भेदभाव समाप्त करने में कोई सभलता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौना क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई)ः (क) देश में निर्धन लड़कियों की सुरक्षा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और स्कीमों की मुख्य विशेषताएं हैं उनके दर्जे में सुधार करके उनके प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाना, सभी क्षेत्रों में महितल पुरुष भेदभाव को समाप्त करना, रोजगार और उत्पादन के लिए व्यापसायकि प्रशिक्षण प्रदान करना, आयोत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना, अन्य बातों के साथ साथ छोटे उद्यमों के विकास के लिए बचत और ऋण संबंधी गतिविधियों के लिए महिलाओं में स्व सहायता दलों के निर्माण को बढ़ावा देना, लड़कियों और महिलाओं की समग्र शक्ति सम्पन्नता तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए समर्थन सेवाओं का प्रावधान।

(ख) और (ग) योजनाओं और स्कीमों का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रबोधन किया जाता है और योजनाओं की विषय वस्तु तथा सेवाओं में सुधार के लिए समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) और (ङ) शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, साक्षरता स्कूलों में नामांकन और पढाई जारी रखने, कार्य सहभामिता, दर, कार्यबल में महिला सह भागिता, विवाह के समय औसत आयु आदि में लड़के और लड़कियों के बीच अन्तर को कम करके अनेक क्षेत्रों में लड़किय़ों के स्तर में सुधार किया गया है। तथापि, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव अभी भी, किसी न किसी रूप में विद्यामान है और सरकार इसके समाधान के लिए सक्रिय कदम उठी रही है।

सुप्रसिद्ध लेखकों को सहायता

375. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस. एस. सुरजेवालाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुराने प्रमुख लेखकों को, जो फिलहाल अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं, सहायता देने हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और किन किन लेखकों को सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस आर. बोम्मई)ः (क) जी, हां।

(ग) साहित्य, कलाओं एवं जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे सुविख्यात व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम है।

इस स्कीम के अंतर्गत लेखक या उसके आश्रित सहित कलाकार को 1500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों की सूची विवरण में दी गयी है।

विवरण

पेंशन प्राप्त कर रहे लेखकों की सूची

1. श्री अमर कांत
2. श्री मार्कडेय
3. श्री कृष्णवत्तम
4. स्वामी रामानंद
5. श्री कडकांची पप्पिया
6. श्री नागार्जुन (वैद्यनाम मिश्र)
7. डा. सी. आर. शर्मा
8. श्री ई. नीलकंटन नायर
9. डा. सच्विदानंद राउत रॉय
10. श्री गौरी शंकर गुप्ता
11. श्री ताउद अक्तर (काबडी)
12. श्री चक्रधर राउत
13. डा. ई. आर. नयनार
14. पंड़ित उपंद्रनाथ होटा
15. श्री हीरा लाल नंदी